न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 897–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–3–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 59/निगरानी /2010–11 ।

श्रीराम पिता बाबूलालजी पटवारी
निवासी ग्राम कैलोद तहसील महू
जिला इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–बद्रीलाल पिता दोलाजी मृतक तर्फे वारिसान
(क)प्रवीण पिता स्व0बद्रीलाल
निवासी ग्राम बेरछा तहसील महू जिला इंदौर
(ख)श्रीमती ताराबाई पति ओमप्रकाश(पिता स्व.बद्रीलाल)
निवासी जवाहर टेकरी धार रोड इंदौर
(ग)श्रीमती रेखाबाई पति पुरूषोत्तम (पिता स्व.बद्रीलाल)
निवासी ग्राम खारीबावडी तहसील व जिला इंदौर
(घ)श्रीमती मायाबाई पति मोहन (पिता स्व.बद्रीलाल)
निवासी पुष्पनगर खजराना रोड इंदौर
(ड़) श्रीमती ज्योति पति विजयसिंह (पिता स्व.बद्रीलाल)
निवासी ग्राम हातोद तहसील हातोद जिला इंदौर
(च) श्रीमती रामकन्याबाई पति स्व0बद्रीलाल
निवासी ग्राम बेरछा तहसील महू जिला इंदौर
2–रामेश्वर पिता दोलाजी
3–मुकुंद पिता दोलाजी
4–सीताबाई पिता दोलाजी
5–सज्जनबाई पिता दोलाजी
6–रेशमबाई पिता दोलाजी
निवासीगण ग्राम बेरछा तहसील महू जिला इंदौर
7–भंवरसिंह पिता गोबारजी मेरावत
8–राधाकृष्ण पिता बेनीवाल
दोनों निवासी एम.सी.टी.ई.महू जिला इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री किशोर सिंह यादव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 7 व 8

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/7/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम बेरछा तहसील महू जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 233, 252, 253, व 254 रकबा 0.556 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 120/अ–12/2010–11 दर्ज कर सीमांकन कराया जाकर दिनांक 25–5–2011 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20–03–2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है । अपर कलेकटर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैः–

(1) अनावेदक द्वारा सीमांकन प्रकरण के विचाराधीन रहते दिनांक 11–2–11 को प्रश्नाधीन भूमि भंवरसिंह व राधाकृष्ण को विक्रय कर दी गई है, इसलिये अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन कराने का अधिकार नहीं रह गया है ।

(2) सीमांकन की कार्यवाही खेत की मेढो से की गई है, जबकि पुराने सीमाचिन्हों से की जानी चाहिये थी ।

(3) सीमांकन कार्यवाही में पडोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है ।

(4) अपर कलेक्टर द्वारा बिना किसी आधार के वह मानने में वैधानिक भूल की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन आवेदक की उपस्थिति में किया गया है ।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन में अनावेदक की भूमि आवेदक की भूमि में शामिल होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदक के पास जितनी भूमि उसकी है, उसी पर आवेदक का आधिपत्य हैं ।

(6) सीमांकन प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

(7) तहसीलदार के समक्ष दिनांक 27–4–2011 को आपत्ति प्रस्तुत की गई, उक्त आपत्ति के जबाव हेतु प्रकरण में पेशी दिनांक 6–5–11 तथा 25–5–11 नियत की गई । उक्त आपत्ति की विचाराधीन अवस्था में राजस्व निरीक्षक के द्वारा अनावेदकगण से मिलीभगत कर उक्त प्रश्नाधीन भूमि का द्वितीय सीमांकन दिनांक 24–5–11 को कर सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 24–5–11 की प्रस्तुत की गई । दिनांक 25–5–11 को भी आवेदक के द्वारा दिनांक 24–5–11 के सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत की गई, उक्त दोनों आपत्तियों को नजरअंदाज कर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 25–5–2011 को प्रकरण में आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही के अन्तर्गत बनाया गया पंचनामा एक तरफा होकर सीमांकन आवेदक को स्वीकार नहीं होने पर आवेदक के द्वारा मुझे सीमांकन स्वीकार नहीं की टीप अंकित कर हस्ताक्षर किये गये हैं । इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैः–

(1) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 7 व 8 के द्वारा कय की गई है और अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण समाप्त कर अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहिये थी, जबकि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन सभी पंचों व सीमावर्ती भू–स्वामियों की उपस्थिति में किया गया है और केता और विकेता को सूचना पत्र जारी किया गया है, जो उन पर

तामील हुआ है । इस आधार पर कहा गया कि सीमांकन प्रकिया विधिनुसार अपनायी जाकर सीमांकन किया गया है जो कि पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है ।

(3) सीमांकन में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 233 का उत्तर पूर्वी हिस्सा श्रीराम पिता बाबूलाल सर्वे नम्बर 230 के कब्जे में पाया गया, अतः उन्होनें ने पंचनामा में सीमांकन स्वीकार नहीं है, लिखकर हस्ताक्षर किये हैं ।

(4) आवेदक द्वारा स्वयं की भूमि का सीमांकन कराया गया है, जिस पर आपत्ति करने का अधिकार आवेदक को नहीं है ।

(5) आवेदक अनावेदक कमांक 7 व 8 सेना में नौकरी करते हैं तथा अधिकांश समय देश की सीमाओं पर दुर्गम स्थानों पर तैनात रहते हैं इस कारण से आवेदक अनावेदकगण की उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है । अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हे ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक द्वारा सीमांकन आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है और अपर कलेक्टर द्वारा सीमांकन कार्यवाही एवं पारित आदेश को विधिसंगत मानते हुये निगरानी निरस्त की गई है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा सीमांकन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं होने से अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर